

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 3486/1जी- FP/UK/ROAD/21822/2016 देहरादून: दिनांक: 25 जून, 2019

सेवा में,
सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड से वनाली मोटर मार्ग के किमी 0 3 से कुण्ड 8.125 किमी 0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/21822/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 5.1415 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 25/6/19

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी- FP/UK/ROAD/21822/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती
5. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

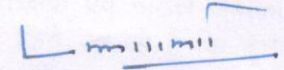
परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड से वनाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/35197/2018)

जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड से वनाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 3.5532 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं अर्थात् 0.889 हे0 सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 5.1415 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-टिहरी/प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:
हस्ताक्षर:



(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

तिथि : 25/06/2019
स्थान : देहरादून

APCCF & NODAL OFFICER (FC)
UTTARAKHAND, DEHRADUN